न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2023 (राजसमन्द डिकी)

1. केसरीमल पिता भैरूलाल जी चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, हाल निवासी 40, भवानी पेठ मावडीकर बिल्डिंग, पूना–2 (महाराष्ट्र)
2. महेन्द्र कुमार पिता भैरूलाल जी चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, हाल निवासी 40, भवानी पेठ मावडीकर बिल्डिंग, पूना–2 (महाराष्ट्र)
3. विकास पिता भैरूलाल जी चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, हाल निवासी 40, भवानी पेठ मावडीकर बिल्डिंग, पूना–2 (महाराष्ट्र)
4. श्रीमती प्रेमलता पुत्री भैरूलाल चपलोत पत्नी प्रकाशचन्द धोका, नि. लाम्बोडी, हाल निवासी परमार गारमेन्ट के नजदीक श्री अपार्टमेन्ट, लोनावाला, पूना (महाराष्ट्र)
5. श्रीमती रेखा पुत्री भैरूलाल जी चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, हाल निवासी 40, भवानी पेठ मावडीकर बिल्डिंग, पूना–2 (महाराष्ट्र)
6. श्रीमती संगीता पुत्री भैरूलाल चपलोत पत्नी हेमन्त बडाला, निवासी टीका नगर, राधाकृष्ण मंदिर के आगे, श्वासरे बिल्डिंग, दूसरा माला, सूरत (गुजरात)
7. श्रीमती गणेशीबाई पत्नी भैरूलाल जी चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, हाल निवासी 40, भवानी पेठ मावडीकर बिल्डिंग, पूना–2 (महाराष्ट्र)

.... अपीलार्थीगण

बनाम

श्री सोहनलाल पिता चुन्नीलाल जी चपलोत (मृतक) के बजाय :–

1. श्रीमती नानीबाई पत्नी सोहनलाल जी चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. इन्द्रमल पिता सोहनलाल जी चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. दिलीप पिता सोहनलाल जी चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती मंजू पुत्री सोहनलाल चपलोत पत्नी मोतीलाल जी चोर्डिया, नि. 27/424, सुवर्ण दीपक बिल्डिंग रोड, रोड नं. 16, सिद्धार्थ नगर, गोरेगांव, मुम्बई (महाराष्ट्र)
5. श्रीमती सुरेखा पुत्री [illegible] कोठारी, निवासी 2 बी. 505, एनजी सनसिटी फेस 2, ठाकुर [illegible] मुम्बई (महाराष्ट्र)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:14 IST
Reason: SelfAttested

6. श्रीमती हेमलता पुत्री सोहनलाल जी चपलोत, पत्नी नरेन्द्र जैन, निवासी राजस्थान चैम्बर, न्यू मिल रोड़, कपड़ा बाजार, वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
7. श्रीमती मीनाक्षी पुत्री सोहनलाल जी चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
8. डालचन्द पिता भेरा जी सेवक, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक
05–12–2022 प्रकरण संख्या 79 / 2007

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री महेश वर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे.सं. 1 से 7

———::———

निर्णय दिनांक 20–02–2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सैवन्त्री, तहसील कुम्भलगढ़ में आराजी नंबर 1546 रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि स्थित है, जिसमें 1 / 2 हिस्सा भैरूलाल पिता चुन्नीलाल व 1 / 2 हिस्सा डालचन्द्र पिता भेरा सेवक के नाम दर्ज है। उक्त आराजी को नोहरा नामी आकडिया नाम से जाना जाता है, जिसके पडोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार हैं, जिसकी लम्बाई दक्षिण में 92 फिट एवं पूर्व में 18 फिट कुल 1756 वर्ग फीट का होकर वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है, जिसके नोहरे के चारों तरफ पत्थरी की कोट पक्की दीवार बनाकर किवाड़ लगा होकर ताला लगा हुआ है, जिसमें वादी का सामान पड़ा हुआ है। उक्त नोहरे का उपयोग–उपभोग वादी द्वारा ही किया जा रहा है। वादी एवं उसके के बड़े भाई भैरूलाल अपने पिता के जीवनकाल से सारा व्यवसाय सम्मिलित रूप से करते थे जिसका सारा खर्च बहैसियत कर्ताखानदान स्वर्गीय चुन्नीलाल जी करते थे। चुन्नीलाल जी ने उक्त नोहरे वाली भूमि पर पानी का नल कनेक्शन ले [illegible] चुन्नीलाल के नाम से ही आते हैं, इससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पति [illegible] की होकर मौरूसी जायदाद है। स्वर्गीय चुन्नीलाल ने [illegible] वाली [illegible] 1 / 2 हिस्सा मदनलाल पिता जसराज मेहता से 8401 [illegible] दिनांक 04–05–1974 को

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:14 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय इकरार खत में निष्पादित कर विक्रय मूल्य 5000/– रूपये नगद चुका कर कब्जा वादी के पिता चुन्नीलाल ने प्राप्त किया, संयुक्त परिवार की आय से चुन्नीलाल द्वारा अदा किया गया तथा बकाया राशि 3401/– रूपये दिनांक 07–04–1974 को चुकता कर पंजियन करवा दिया गया, जिसकी राशि चुन्नीलाल द्वारा अदा की गयी, किन्तु भैरूलाल बड़े पुत्र होने से पंजीयन भैरूलाल के नाम पर करवाया गया. जबकि वादी का भी उक्त नोहरे की भूमि पर भैरूलाल के समान ही हक अधिकार है। वर्ष 1983 में वादी के पिता चुन्नीलाल की मृत्यु हो गयी तथा दोनों भाई भैरूलाल व सोहनलाल सम्मिलित व्यवसाय करते थे तथा चुन्नीलाल जी सभी कृषि भूमि व मकान आदि पर दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा था। वादी सोहनलाल एवं भैरूलाल के मध्य वर्ष 1987 के अन्दाजन चन्दनमल पिता अम्बालाल बोहरा के समक्ष इस आशय का पारिवारिक समझौता किया कि नोहरे वाली भूमि वादी के रहेगी इसके बदले सेवन्त्री गांव वाली दुकान व 40,000/– रूपये भैरूलाल को देना तय किया गया, किन्तु भूल वश वादी के पास उपलब्ध चोपने में तारीख व वर्ष अंकित नहीं किया गया, लेकिन इसके लेखक से वादी द्वारा वक्त जरूरत साबित करवाया जावेगा। उक्त लिखापढ़ी के निष्पादन के पश्चात् वादी एवं भैरूलाल के मध्य पारिवारिक समझौता दिनांक 29–11–1991 को चन्दनमल एवं रंगलाल की उपस्थिति में किया गया, जिसके अनुसार उक्त नोहरे वाली भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा यानी 1 बिस्वा 5 बिस्वांसी वादी सोहनलाल के रखी गयी, जिसके अनुसार भैरूलाल ने उक्त नोहरे का समस्त मालिकाना हक वादी सोहनलाल को हस्तान्तरित कर दिया, तब से वादी ही उक्त नोहरे की भूमि पर काबिज चला आ रहा है। दिनांक 13–02–2007 को भैरूलाल की मृत्यु पर वादी ने उक्त नोहरे का दस्तावेज अपने नाम खुलवाने के लिए कहा, लेकिन भैरूलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने मना कर दिया, जबकि कब्जा आज भी वादी का ही बदस्तूर कायम है। अतः वादी को वाद वर्णित आराजी नंबर 1546 रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 11 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 06–12–2022 से वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–01–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:14 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं स.अ.अ.
जयपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट वक्त बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 मात्र वादी के साक्षियों एवं प्रदर्श 13 के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित कर दी, जबकि प्रदर्श 13 को अपीलान्ट ने जालसाजी पूर्वक जारी करना साबित कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित कर दी। इसी प्रकार अन्य तनकियों का भी सही विवेचन नहीं किया है, जबकि विवादित भूमि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी भैरूलाल द्वारा विधिवत क्रय की गयी है एवं कब्जा भी अपीलान्टगण का ही चला आ रहा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है तथा वादी का वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RBJ (30) 2023 Page 567, AIR 2011 Page 1340 SC प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 11 तनकियां कायम की एवं प्रत्येक तनकी का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अलग-अलग विवेचन करते हुए वादी/रेस्पोन्डेन्ट के जिम्मे तनकियां वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी/अपीलान्ट के जिम्मे की तनकियां प्रतिवादी के विरूद्ध तय करते हुए वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद स्वीकार किया है। हमारे द्वारा भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है विवादित आराजी नंबर 1546 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा वादी सोहनलाल एवं प्रतिवादी भैरूलाल के पिता चुन्नीलाल द्वारा क्रय किया गया है तथा दोनों भाईयों के मध्य आपसी राजीनामा [illegible] आराजी के नोहरे वाली भूमि वादी/रेस्पोन्डेन्ट सोहनलाल के पक्ष में रखी गयी [illegible] जहां तक कब्जे का प्रश्न है, स्वयं सरपंच भंवरलाल ग्राम पंचायत [illegible] ने प्रदर्श 13 में यह अंकित किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
उदयपुर

मु.प्र.अ. एवं स.आ.अ.
उदयपुर (राज.)

ग्राम वासियों से पूंछतांछ करने एवं मौके का निरीक्षण करने पर कई सालों से कब्जा वादी सोहनलाल का होना एवं इस नोहरे का उपयोग–उपभोग वादी सोहनलाल द्वारा किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि भाईयों के आपसी विभाजन से उक्त नोहरा वादी सोहनलाल के रखा गया है तथा नोहरे पर कब्जा भी वादी/रेस्पोन्डेन्ट का ही है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उसके अनुसार पारिवारिक समझौते का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ही वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–12–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:14 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....

व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

केसरीमल पिता भैरूलाल चपलोत, जाति जैन, निवासी सैवन्त्री, तह. गढ़बोर, हाल निवासी 40, भवानी पेठ मावडीकर बिल्डिंग, पूना–2, (महाराष्ट्र) व अन्य

बनाम

सोहनलाल मृतक के बजाय श्रीमती नानीबाई पत्नी सोहनलाल चपलोत, निवासी सैवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....01 / 2023.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी .....
.....कुम्भलगढ़..... मुकाम.....मुवर्खे.....05.....माह.....12.....2022.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20.....माह.....02.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री महेश वर्मा.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री संजय बोहरा

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–12–2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये ..... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20.....माह.....02.....2024 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन को कुल खर्चा, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:14 IST
Reason: SelfAttested